eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

दलित महिला हिंसाः मानवाधिकार तथा नारी सशक्तिकरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

[1]डॉ० रश्मि पाण्डेय
[2]विमलेश कुमारी
[1]असिस्टेण्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात उ0प्र0
[2]शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात उ0प्र0

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

किसी भी देश के विकास का पैमाना महिलाओं की उत्तम स्थिति पर तय होता है। देश की तरक्की के लिये महिलाओं को सुरक्षित माहोल देना हमारा मौलिक कर्त्तव्य है। राष्ट्र के विकास व आजादी के लिये जरूरी है. महिला हिन्सा में कमी तथा सुरक्षा से वंचित पिछडी दलित महिलाओं को उनकी मूल भूत आवश्यकताओं एवं मानवीय अधिकारों की पूर्ति करके उन्हें सशक्त बनाना। आजादी के 76 वर्ष बाद भी हम उस उददेश्य तक नहीं पहुच पाये। मानवाधिकारों के व्यावहारिक विघटन की दासता हर जगह चीखती चिल्लाती देखी जा सकती है। जाति–पात, छुआ–छूत, लिंग–भेद, नस्ल– भेद आदि से दलित महिला हिन्सा की कहानियां 21 वी सदी में भी जीवित है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रावधानित है। जो उनमें से अधिकांश मानवीय अधिकारों की सभ्यता रखते हैं। सामाजिक धार्मिक छुआ–छूत, भेद रहित मानवाधिकारों को भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधानित किये गये फिर भी दलित महिलाओं की स्वस्थ्य स्वरूप में मानवीय अधिकारों की समस्यां बनी हुई है। विकास के नाम पर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दलित महिलाओं के समक्ष हिन्सा रहित अधिकारों की दुहाई दी जा रही है। पर तीसरी दुनियाँ की नारी के जीवन की सच्चाई बेहद कड़वी है। इस सच्चाई से रूवरू होने लिये दलित महिलाओं को अपने मानवीय अधिकारों तथा हिन्सा जैसी जटिल समस्याओं के निदान हेतु स्वयं को सशक्त करने की आवश्यता है। तब कही जाकर दलित महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय उत्पीडित महिलाओं के साथ संगठन बनाकर नारी सशक्तिकरण के रूप में दे पायेगी।

मुख्य शब्दः– राष्ट्र का विकास दलित, महिला, हिंसा, मानवाधिकार, नारी सशक्तिकरण।

Introduction

मानव सृष्टि की संरचना का निर्माण परिवार से लेकर विश्व तक स्त्री–पुरुष के संयोग तथा पारस्परिक संबन्धों का ही परिणाम है। किसी एक के अभाव में मानवीय समाज के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। भारतीय सामाजिक परवेश के ढांचें में सताब्दियों से ही महिला सुरक्षा की चिन्ता बनी हुई है। आजादी के 76 वर्ष बाद भी महिला हिन्सा जीवित है। महिला हिन्सा में कमी और देश में सबसे दवी कुचली दलित महिलाओं की आवश्यकताएं तथा मानवीय अधिकारों की पूर्ति करके उन्हें शिक्षित तथा सशक्त बनाना सभ्य समाज का मौलिक कर्त्तव्य है। जिससे उनके साथ हो रही आमर्यादित तथा आव्यवहारिक हिन्सा से वे बच सके। 1

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

श्री पी. वी. नरसिम्हाराव के नेतृत्व में 73 वा संविधान संसोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया है। जिसमें 33 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं तथा अनुसूचित महिलाओं को दिया गया। ताकि महिलाएं लोक सभा, राज्य सभा, नगर निगम तथा ग्राम पंचायतों में भागीदारी कर सके।

अधिकारिक तौर पर सन 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करके संयुक्त राष्ट्र ने इस आयोजन को मनाना शुरु किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1996 में पहली बार इस आयोजन की थीम थी 'अतीत का जन्न मनाओ भविष्य की योजना बनाओं'' प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता हैं। भारत सरकार द्वारा 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष धोषित किया गया। इस राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और भेद भाव को समाप्त करके अपने मानवीय अधिकारों तथा हक को प्राप्त कर सके। लैंगिक समानता की दृष्टि से सरकार द्वारा चलाई गई नीति असफल नजर आती है। 1955 में विवाह अधिनियम लागू करके महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु 1961 में दहेज अधिनियम लागू किया गया जिसमें महिला हिन्सा में अधिकार मिलने के लिये प्रावधान किया गया। महिलाओं के प्रति घरेलू हिन्सा रोकने तथा सशक्ति सम्पन्न अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से 2005 में घरेलू हिन्सा अधिनियम बना यह अधिनियम महिलाओं तथा दलित महिलाओं को पारवारिक, आर्थिक सामाजिक शोषण से मुक्ति देने के हित में था पर आज वास्तविकता के धरातल पर इसकी नियू कमजोर होती नजर आती है। 2

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यः–

1– दलित महिलाओं में उत्पीडन तथा मानवाधिकार के प्रति जागरुकता का विश्लेषण करना

2– दलित महिलाओं में हिन्सा के कारणों एवं अभिर्कताओं का पता लगाना ।

3– दलित महिलाओं की सामाजिक पारिवारिक, आर्थिक पृष्ठ भूमि की जानकारी तथा नारी. सशक्तिकरण के प्रति जागरुक करना।

शोध विधिः– प्रस्तावित शोध पत्र तथ्यों के संकलन पर आधारित है। तथ्यों के संकलन में द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग किया गया है। इसके स्रोत पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि का प्रयोग कर विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पनाः–

1– दलित महिलाओं का मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर हिन्सा तथा शोषण होता है।

2– दलित महिलाओं में मानवीय अधिकारों तथा नारी सशक्तिकरण के प्रति जागरुकता की कमी है।3

प्रस्तुत शोध सम्बन्धित साहित्यः–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

1– सिंहा अमरीश 2018 ने भागलपुर की छात्राओं के पारिवारिक जीवन पर अध्ययन किया निष्कर्ष रूप में पाया कि पारिवारिक जीवन का कमजोर वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पडता है।

2– नसरीन तसलीमा 2022 ने महिला उत्पीडन को उनके अधिकारों के प्रति शोषण तथा जागरुक करने तथा महिलाएं 21 वीं सदी में भी घरेलू हिन्सा की शिकार है जैसा अपने अध्ययन में पाया। 4

समाज में दलित महिला हिन्साः– एक स्वस्थ्य समाज की पहचान है जहाँ स्त्री–पुरुष सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। सैकड़ों वर्षों से संस्कृति, मूल्य, आदर्ष मानताएं एक के बाद एक लचर होने पर देश का बुनियादी ढाचा विखरता गया। समाज की संस्कृति वस्त्रबीहन होने पर मजबूर हो गई। मानव समाज में हिन्सा की स्थिति संदैव रही है।

जिसकी शिकार दलित महिलाएं अधिक होती गई। उच्च जातियों द्वारा सामूहिक हिन्सा से पिछडी शोषित महिलाओं को बलात्कार, अपहरण, मारपीट, आर्थिक, मानशिक रूप से क्षति पहुंचाना, जातिगत अशब्दों का प्रयोग करके उन्हें प्रताडित करना आम बात हो गई। आज आधुनिकीकरण तया वैष्वीकरण जैसे दौर में भी दलित महिलाए दासी जैसा जीवन जी रही है। बीएडब्ल्यू के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में कहा गया कि ''वीएडब्ल्यू पुरुषों तथा महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व और भेदभाव की रोक थाम हुई।'' पर सामाजिक पुरुष क्षेत्र व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति में मजवूर करके उन पर वे वजय नियमों को थोपा जाता है।

कम पढ़ी लिखी ग्रामीण दलित इसकी भुक्त भोगी वन जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ट्यूरो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में भारतीय आंकड़े है जिसमें पति तथा रिस्तेदारों द्वारा क्रूरता 43.4 प्रतिशत, बलात्कार 10.6 प्रतिशत और दहेज निषेध में 2.9 प्रतिशत रिकॉर्ड प्राप्त हुये। भारत संसार का चौथा खतरनाथ देश बना। जहाँ कन्या भ्रूण हत्या, वाल विवाह, उच्च स्तर की महिला तस्करी, घरेलू दासता है। भूख की पीड़ा बच्चों की परवरिश, जैसी अनेक समस्याओं से पीडित होने की वजय से दलित महिलाएं इन सब की शिकार होती है। 5

सामाजिक दृष्टिकोण से कलंक तथा पारिस्थितियों से घिरी होने के कारण किसी ठोस कार्यवाही के लिये कदम न उठा पाना अनेको जुल्म से पीडित हो जाती है। दलित महिलाओं के साथ हो रही हिन्सा को समाज में निम्न आधारों पर देखा जा सकता है।

दलित महिलाओं के प्रति घरेलू हिन्साः– दलित महिलाएं या अन्य महिलाओं को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पतियों द्वारा मार पीट, घर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शारीरिक यातनाएं देकर प्रताडित करना उनके विकास में बाधक बन कर घरेलू परम्पराओं में जकड़ना। जिसे वे अपनी प्रास्थिति का हिस्सा मान कर नरकीय जीवन जीने के लिये मजबूर होती रहती है। घरेलू हिन्ला सामाजिक रूप से कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

–: दलित महिलाओं के प्रति घरेलू हिन्सा के स्वरूप :–

1–	मौखिक तथा भवनात्मक हिन्सा	अपमान, गालिया देना, संतान न होना, दहेज न लाने पर, नौकरी न करने देना धूरना, आख दिखान के रूप में हिन्सा।
2–	शारीरिक हिन्सा	मार पीट करना, दाँत से काट ना, धकेलना, धक्का मारना आदि स्तर से शारीरिक पीडा देना।
3–	लैंगिक हिन्सा	बलात्कार, अपहरण, अष्लील साहित्य या तसवीर को दिखाना, सैक्स के लिये मजबूर करना, नीचा दिखना।
4–	आर्थिक हिन्सा	रोजगार करने में वाधा डालना, खर्चा देना, वेतन या पारिश्रमिक को ले लेना, घर से भगा देना आदि के रूप में हिन्सा।

बलात्कार तथा अपहरणा की हिन्साः– आधुनिक शैक्षिक युग में नन्हीं बच्चियों तथा महिलाओं के साथ आय दिन अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं अखवारों, न्यूज, टेलीविजन, पत्र, पत्रिकाओं में कि एक पिता ने बेटी के साथ बलात्कार किया। छोटी कन्याओं को घर से बहला फुसलाकर ले जाकर उनके साथ गलत करना चाचा, मौसा, भाई सब इनके गुनहागार है। कस्वा अहेरी पुर में चार वर्षो दलित बेटी के साथ स्कूल के शिक्षक ने बलात्कार किया। 7

हाथरस में 19 वर्षी दलित महिला की मौत बलात्कार से हो हुई है। 2012 में दिल्ली बस बलात्कार ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिनका सामना दलित महिलाओं को करना पड़ता है सुलझित सभ्य कानून के होते भी वे अपना सब कुछ गवा बैठती है। 8

वैश्यावृत्ति की हिन्साः– राजा महाराजाओं के समय से वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया गया। कमजोर दलित महिलाओं की मजबूरी का फैदा उठाकर इनको मनोरंजन का साधन बनाया। कभी पति की सुरक्षा बच्चों की भूख तो कभी छत की तलास में अपने तन मन को न्योछावर कर दिया। देश समाज षिक्षित सवल होने के बाद भी महिलाओं को बलि का बकरा बना ही दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहत दी परन्तु वास्तविकता के आधार पर सब खोखला मालूम होता है। 9

दलित महिला हिन्सा की सामाजिक, राजनीतिक प्रस्थितिः– भारत में पित्र सत्यतात्मक समाज होने के कारण पुरुषों को प्रधानता दी जाती रही है। वही समाज में लड़के का जन्म उत्तम और लड़की के जन्म को श्राप माना गया। ग्रामीण में दलित समाज में बेटी को जन्म देना पाप समझा जाता रहा है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च और यूएन बूमेन द्वारा किये गये अध्ययन में पाया कि देश विदेश में राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिन्सा वडे स्तरों पर होती है। कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन, पुलिस तथा न्यायपालिका से समर्थन की कमी, सामाजिक, आर्थिक विभाजन से वर्तमान शक्ति

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

संरचनाएं हिन्सा के प्रमुख कारण है। जिनका सामना दलित स्त्रियों को काफी हद तक करना पडता है। 10

दलित महिलाओं की समस्याए

1–	दलित महिला होना ही स्वतन्त्रता, समानता, मानवीय अधिकारों को वंचित करता है।
2–	दलित महिलाएं उच्च स्तर की गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव आदि की समस्या।
3–	दलित महिलाए राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर भी लेती है, पर उनके साथ भेदभाव हिन्सा तथा सुरक्षा की समस्या।
4–	प्रभुत्व शाली जातियों की एक मानशिकता है कि वे छोटी जाति की है जो चाहे कर सकते हैं।
5–	बेहतर स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग से वंचित किया जाना।
6–	नियोक्ताओं, प्रवास एजेंटों, भ्रष्ट नौकरशाहों अपराधिक गिरहों द्वारा शोषण की समस्या रहती है।

11

दलित महिलाओं के हिन्सा के कारणः– दलित महिला हिन्सा के समाज से उपजे रीति रिवाज कम काण्ड छुआ छूत जैसे अनेक कारण है। परन्तु सामाजिक असमानता एक प्रमुख्य कारण है। फिर भी दलित महिला हिन्सा के निम्न कारण है जैसे– जातिगत ढांचों में, पुरुषों के समक्ष निम्न सामाजिक स्थिति, पुरुष प्रधानता तथा पुरुषों पर निर्भरता सामाजिक कुप्रथाओं और शिक्षा का अभाव। नशे की आदी एवं स्वास्थ्य निम्न जीवन स्तर आदि हिंसा के कारण है मजूमदार ने कहा है कि 'अस्पृश्य जातियों वे है जो कि विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्ताओं से पीडित है जिसमे बहुत सी निर्योग्ताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित तथा सामाजिक रूप से लागू की गई है'' आज भी हमारी सोच व खून में जिन्दा है कि दलित वर्ग एक अछूत हैं जो छुने योग्य नहीं है अक्सर दलित महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों से हस्थल होकर गुजरना पडता है जो उनके मान सम्मान को ठेस पहुचा है। 12

समाज मे दलित महिला मानवीय अधिकारों की स्थितिः– दलित महिला अधिकार सामाजिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान प्राप्त होने में कठिनाईया होती या फिर अनेक मानवीय अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। व्यक्ति, समाज, शासन, प्रशासन, कानून, पुलिस, समाज सेवी संस्थाएं ये सब समाज के वे स्तम्भ है जो मानव सम्बन्धों तथा अधिकारों की रक्षा करते हैं। डा. अम्बेडकर का मत है कि ''इसमें कोई दो राहय नहीं है कि, भारत में हजारों जातियां है उनकी श्रेणियां ऊची नीची खानों में वहीं है।'' बहुत सी महिलाएं उद्योगों, घरेलू कार्यों प्रतिपठित स्थानों में काम करके अपना भरण खोषण करती है। परन्तु उन पर अनेक अत्याचार करके उन्हे मानवीय अधिकारों से दूर कर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

सामाजिक दर्जा वहीन बना दिया जाता है सन 12.25 में मैग्नाकार्टा एक दस्ता वेज बना जिसमें सभी जातियों के अधिकार की बात की गई। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार अधिनियम बना। इस अधिनियम के घोषणा पत्र में सभी के अधिकारों को ध्यान में रखकर तीन प्रमुख तत्व दिये जो भारत के मानव के लिये जीने तथा आगे बढ़ने के लिये प्रणादायी स्रोत वने–

- प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- प्रत्येक के लिये जीविकोपार्जन की समुचित व्यवस्था करना।
- किसी व्यक्ति को दास नही बनाया जायेगा।

परन्तु ये अधिकार होने के बाद भी स्त्री–पुरुषों को समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा आदि के रूप में अधिकार दिये गये। ये अधिकार प्राप्त होने के बाद भी दलित महिलाएं अपने आप को असाह तथा निर्वल पाती है वही धनी लोग सत्ता शक्ति के बल पर अत्याचार व मानवीय अधिकारों का हनन करने में पीछे नहीं हटते है। जब दलित महिलाएं इसका विरोध करती तो इनको कानूनी पेच से घेर दिया जाता है। हम धरती के मानव सब एक है। एक सृष्टी के रचनाकार के बच्चे है फिर भी हम अलग–अलग विचार तथा सोच रखते है। 13

दलित महिलाओं की सशक्तिकरण के प्रति चेतनाः– समाज के कार्यों में सहभागिता के लिये स्त्री–पुरुष के मध्य शक्ति का समान संतुलन होना आवश्यक है। इस सहभागिता में दलित महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित है जिससे उनके प्रति हो रही असमानता का विरोध कर के स्वयं निर्णय ले सके। प्रतापमल देवपुरा का मत है कि ''सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है क्यों कि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक वडा मानक है।'' दलित महिलाओं को समाज में कानूनी तथा सामाजिक मानक में भी पिछडा दर्जा या पुरुषों की अपेक्षा दोयम दर्जा प्राप्त है। जिसके कारण वे 21वी सदी मे भी अपने अधिकारों की प्रति व निर्णय लेने की क्षमता उनमे अभी पूरी तरह से नहीं है। दलित महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हे सामाजिक सुविधाएं, राजनीतिक आर्थिक नीति निर्धारण में भागी दारी, समान कार्य समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, सवल तथा सक्षम होकर निर्णय स्वयं ले सके। दलित युवा महिलाओं की मरी हुई चेतना मे जान डाल कर सशक्त तथा सवल बना जाये ताकि वे अपने मान सम्मान की सुतः रक्षा कर के हिन्सा से मुक्ति पा सके।

यदि महिला शक्ति मजबूत होगी तो देश तथा समाज मजबूत होगा। तभी आने वाले समय मे महिला अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगी। निर्वल नारी से सवल शिक्षित होकर घर परिवार, समाज देश के लिये मार्ग दर्शन बनेगी। 14

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

2– यादव डा. वीरेन्द्रसिंह – इक्कीसवी सदी का महिला सशक्तिकरण मिथक एवं यथार्थ, मेगा पक्लिकेसन्स दरिया गंज– नई दिल्ली– 110002 संस्करण 2010 पृ.सं. 87

3– लता डां. गंजू – अनुसूचित जाति महिला उत्पीडन, अर्जुन पब्लिकेसन्स– दरिया गंज नई दिल्ली– 110002 संस्करण 2004 पृ.स. 63.

4– नसरीन तसलीमा 2011– दैनिक अमर उजाला, प्रकाशित कानपुर पेज. 8

5 – Indian J Psychiatry 2015 Jul :57 (Supplz)

6– लवानियां डा. एम. एम.– भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेसन्स जयपुर, पृ.स. 105–6

7– दलित महिला पर अत्याचार– हिन्दी दैनिक अमर उजाला 2–8–2010 पृ.सं. 3

8– चौधरी राम वरन बहराइज 2 जून 2023

9– शर्मा रेखाः – योजना दिसम्बर 2020, ISSN – 0971–8397 पृ.सं. 16

10– वरिष्ठ डा. श्रद्धा– कुरुक्षेत्र, फरवती 2021 पृ.सं. 26

11– लवानियां डा. एम. एम.– भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेसन्स सस्करण 2004 पृ.सं. 103

12– लता डा. मंजू– असूचित जाति मे महिला उत्पीडन – अर्जुन पब्लिकेसन्स संस्करण 2004 पृ. सं. 103

13. सिंह वी. एन. एण्ड सिंह जनमेजन – आधुनिक सशक्तिकरण, रावत– पब्लिकेशन्स जयपुर संस्करण– 2010 पृ. 84–05

14. उपर्युक्त पुस्तक प्र. स. 101